राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2867/2025 अनिल कुमार शर्मा, सीएचओ	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	22.05.2025	श्री आर.डी. मीणा, अभिभाषक
2.	2868/2025 अशोक कुमार मीणा, सीएचओ	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	22.05.2025	श्री आर.डी. मीणा, अभिभाषक
3.	2869/2025 संजय कुमार शर्मा, सीएचओ	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	22.05.2025	श्री आर.डी. मीणा, अभिभाषक
4.	2870/2025 अनिता कुमारी मीणा, सीएचओ	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	22.05.2025	श्री आर.डी. मीणा, अभिभाषक
5.	2871/2025 अजय खंडेला सीएचओ	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	22.05.2025	श्री आर.डी. मीणा, अभिभाषक
6.	2872/2025 राहुल चौधरी सीएचओ	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	22.05.2025	श्री आर.डी. मीणा, अभिभाषक
7.	2873/2025 शाहरूख खान सीएचओ	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	22.05.2025	श्री आर.डी. मीणा, अभिभाषक
8.	2874/2025 जितेन्द्र कुमार मीणा सीएचओ	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	22.05.2025	श्री आर.डी. मीणा, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 09.06.2026

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2867/2025 अनिल कुमार शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 31.8.2020 को एक विज्ञापन जारी किया है और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से आयुष्मान भारत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के

परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एसएचसी–एच और डब्ल्यूसी) में सीएचओ के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विज्ञापन के अनुसार उक्त पद के लिए आवश्यक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य में बीएससी या नर्स (जीएनएम) या बीएससी) या आयुर्वेद चिकित्सक (बीएएमएस) है और संबंधित राजस्थान नर्सिंग काउंसिल/भारतीय चिकित्सा बोर्ड राजस्थान में पंजीकृत है। अपीलार्थी ने उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य एवं पात्र होने के कारण विधिवत ऑनलाइन आवेदन किया तथा चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पश्चात उसे राजस्थान संविदा सिविल पदों पर नियुक्ति नियम, 2022 के प्रावधान के अंतर्गत दिनांक 27.3.2022 के आदेश द्वारा उक्त पद पर चयनित/नियुक्त किया गया तथा उसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विनेगा ब्लॉक गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर आवंटित किया गया। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 5315 पर अंकित है। नियुक्ति आदेश की पालना में अपीलार्थी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विनेगा में कार्यभार ग्रहण किया तथा निरंतर सेवाएं दे रहा है। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 29.11.2022 के आदेश के माध्यम से स्वास्थ्य कल्याण केंद्र (HWC) में कार्यरत CHO को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देने के लिए निर्देश जारी किया और यह दिनांक 01.12.2022 से लागू हो गया है। उपरोक्त निर्देश के अनुसार, CHO को 15 संकेतकों के लिए प्रति संकेतक 1000/– प्रति माह की दर से अधिकतम 15000/– रुपये प्रति माह मिलेंगे। उक्त प्रोत्साहन राशि की गणना सभी बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ही की जाएगी। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी के स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र विनेगा में कार्यभार ग्रहण करने के लगभग 9 महीने बाद प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 27.6.2023 के आदेश के माध्यम से स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र विनेगा को बजट घोषणा 2023–24 में PHC में अपग्रेड किया तथा विभिन्न पदों को स्वीकृत किया तथा CHO का पद स्वीकृत नहीं किया। (अनुलग्नक–3) नियुक्ति आदेश दिनांक 27.3.2022 के अनुसार सीएचओ के पद केवल स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एससीएच एवं एससी) के लिए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अन्य नजदीकी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र/उप–केंद्र में समायोजित किए बिना उसे उसकी वर्तमान पदस्थापन के स्थान यानी पीएचसी विनेगा में सीएचओ के स्वीकृत पद के बिना जारी रखने की अनुमति दी। ब्लॉक गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर) में आस–पास की कई जगहें अभी भी खाली पड़ी हैं यानी (1) उप–केंद्र जाट बडोदा (2) उप–केंद्र महानंदपुर (3) चक छावा (4) खानपुर बडोदा (5) अहमदपुर (6) एस्ट्रोली और अपीलकर्ता को आदेश दिनांक 29.11.2022 के अनुसार प्रोत्साहन से वंचित कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने

दिनांक 11.9.2023 के आदेश के माध्यम से एनएचएम के तहत काम कर रहे स्वीकृत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में सीएचओ की पोस्टिंग के लिए विकल्प आमंत्रित करने के संबंध में निर्देश जारी किया और उनके कार्यरत उप–केंद्र को सत्र 2021–22 में पीएचसी में अपग्रेड किया गया और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में रिक्त पदों और अपग्रेड किए गए पीएचसी में कार्यरत सीएचओ को भी जारी किया। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रध्उप–केंद्र विनेगा को दिनांक 27.6.2023 के आदेश के माध्यम से अपग्रेड किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अभी भी अपीलार्थी से कोई विकल्प नहीं आमंत्रित किया है। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 15.2.2024 को आदेश जारी किया गया। भारत सरकार के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कम से कम 20 दिनों तक उपस्थित रहना अनिवार्य है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी–एएएम) में परिवर्तित उप–स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ की उपस्थिति नियमित होनी चाहिए और उनकी ड्यूटी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी–एएएम) के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं लगाई जानी चाहिए, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अभी भी उप–केंद्र / आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपीलकर्ता को पोस्टिंग नहीं दी है। (अनुलग्नक–5) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिनांक 01.11.2022 विज्ञापन संख्या 11 / 2022 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कुल 5261 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी गया तथा चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात चयन बोर्ड द्वारा 27.6.2024 को परीक्षा परिणाम घोषित कर नियुक्ति हेतु अंतिम मेरिट सूची दिनांक 9.1.2005 विभाग को प्रेषित की गई तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की जिलावार सूची 11.1.2025 को जारी की गई। (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 15.5.2025 के आदेश के माध्यम से नव चयनित सीएचओ की नियुक्ति / पदस्थापना आदेश जारी करने के निर्देश जारी किए तथा 15.5.2025 से 23.5.2025 तक पदस्थापन स्थान के लिए विकल्प भी आमंत्रित किए। (अनुलग्नक–7) प्रत्यर्थी विभाग ने नव चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति / पदस्थापना आदेश जारी करने से पहले विकल्प आमंत्रित करके निकटवर्ती स्थान पर स्थित स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र / उपकेंद्र में सीएचओ के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अभी तक अपीलार्थी और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों से विकल्प नहीं मांगे हैं और न ही उक्त नोटिस का कोई जवाब दिया है। (अनुलग्नक–8)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति / पदस्थापना ओदश जारी करने से पूर्व काउंसलिग

के माध्यम से विकल्प आमंत्रित कर अपीलार्थी को उसके गृह ब्लॉक गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर के निकट उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी एवं एएएम) में पदस्थापित करने निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2867/2025 अनिल कुमार शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य